

प्रेषक,

शाहजहाँ,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक...../...../2023

विषय:- श्री बाबुलाल राय सुमित्रा सिन्हा डिग्री महाविद्यालय, गोरौल, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक विभिन्न विषयो में सत्र 2023-26 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-18/78 दिनांक-13.01.2023 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम 1098 दिनांक-19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा श्री बाबुलाल राय सुमित्रा सिन्हा डिग्री महाविद्यालय, गोरौल, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक प्रस्तावित विषयो में परिनियमानुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिए जाने के निदेश के साथ शैक्षणिक सत्र 2023-26 से स्थायी संबंधन की अनुमति प्रदान की गई है।

	संकाय	विषय
01	कला (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऊर्दू, इतिहास, गृह-विज्ञान मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, संगीत एवं गणित। (कुल 15 विषय)
02	विज्ञान (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं गणित। (कुल 06 विषय)
03	वाणिज्य (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्ट्स, कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इनवॉयसमेंट एवं बिजनेस फाइनेन्स (कुल 04 विषयों में)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(शाहजहाँ)

सरकार के उप सचिव

8

ज्ञापांक:-14 / ए0एफ0-19 / 2021

पटना, दिनांक..... / ..... / 2023

प्रतिलिपि:-माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक एवं सचिव, श्री बाबुलाल राय सुमित्रा सिन्हा डिग्री महाविद्यालय, गोरौल, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(शाहजहाँ)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14 / ए0एफ0-19 / 2021 -464

पटना, दिनांक:-16/03/2023

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया जाता है।

  
(शाहजहाँ)

सरकार के उप सचिव

